

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक ८/ मई, 2015

विषय:-प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों/अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2015-16।

महोदय,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्साधिकारियों के संबंध में कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-2015, दिनांक 09.04.2015 के अनुक्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्साधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए वर्ष 2015-16 के लिए स्थानान्तरण नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

- (1) समस्त स्थानान्तरण 30 जून, 2015 तक किये जायेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकते हैं। स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट-आफ डेट 31.03.2015 मानी जायेगी। 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासंभव विचार किया जाय। समूह 'ग' एवं 'घ' के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाय।
- (2) चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण विशेषज्ञतावार किये जायेंगे। जिलो में समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल 06 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। ऐसे ही समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके पति/पत्नी प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग अथवा किसी अन्य सरकारी सेवा में हो, तो उन्हें यथा संभव एक ही जनपद में तैनात किया जाय।
- (3) ऐसे विशिष्ट विशेषज्ञताधारी चिकित्सक, जिनकी शैक्षणिक योग्यता डी0एम0/एम0 सी0एच0 अथवा समकक्ष है, को स्थानान्तरण नीति से मुक्त रखा जाय। ऐसे विशिष्ट विशेषज्ञता (यथा-प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, महिला लेप्रोस्कोपिक सर्जरी (ट्यूबेक्टामी के अतिरिक्त), चीरा-रहित पुरुष नसबन्दी विशेषज्ञ (केवल प्रशिक्षक), क्रिटिकल केयर यूनिट एवं एनेस्थीसिया, फेको प्रशिक्षित नेत्र सर्जन, सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0, कैथ-लैब, बर्न एवं ट्रामा केयर) में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों को इन विशिष्टताओं की सुविधाओं के चिन्हित स्थानों पर ही तैनात किया जाय। ट्रामा सेन्टर में प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती की जाय ताकि वे अपनी क्षमता के अनुरूप कार्यशील हो सकें।
- (4) प्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शासनादेश संख्या-692/सेक-2-पांच-14-7(56)/2014, दिनांक 24.02.2014 के अनुरूप दिये गये निर्देशों के क्रम में चिकित्सकों एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को उनके प्रशिक्षण के अनुरूप ही चिकित्सा इकाइयों पर तैनात किया जाय। अपरिहार्य स्थिति में

- यदि अन्यत्र तैनाती की जाती है, तो सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- (5) प्रदेश में 20 जनपद ऐसे हैं, जो जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित हैं। इनमें से 09 जनपदों में आई0सी0यू0 की स्थापना प्रक्रियाधीन है। स्थानान्तरण इस प्रकार किये जाय कि इन 09 जनपदों में स्थापित/स्थापित होने वाली आई0सी0यू0 को 01 निश्चेतक एवं 03 बालरोग विशेषज्ञ की टीम से संतृप्त किया जाय। जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित 20 जिला पुरुष चिकित्सालय में कम से कम 01 बाल रोग विशेषज्ञ अवश्य तैनात किया जाय।
 - (6) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 300 एफ0आर0यू0 संचालित किये जाने हैं, जिनमें 24X7 के अन्तर्गत प्रसव की सुविधा दी जानी है। अतः इन एफ0आर0यू0 पर कम से कम एक गाइनकोलॉजिस्ट/ई-मॉक प्रशिक्षण प्राप्त महिला चिकित्साधिकारी तथा 01 निश्चेतक एवं 01 बालरोग विशेषज्ञ अवश्य तैनात किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी जिला महिला चिकित्सालयों में 01 निश्चेतक, 01 बालरोग विशेषज्ञ व 01 स्त्री रोग विशेषज्ञ की टीम अवश्य तैनात की जाय। एफ0आर0यू0 पर तैनाती होने के उपरान्त अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो शासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
 - (7) स्वास्थ्य संबंधी मानकों में उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ तैनात किये जाएं और स्थानान्तरण इस प्रकार किये जाय कि चिकित्साधिकारियों की संख्या यथा संभव 80 प्रतिशत से कम न हो।
 - (8) विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय से बाहर विद्यमान हैं, तो एक विभाग में 06 वर्ष लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाय।
 - (9) प्रत्येक संवर्ग में उक्त आधारों पर स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित रखी जाय।
 - (10) आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जाय, किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।
 - (11) समूह 'ग' के कार्मिकों का स्थानान्तरण महानिदेशालय के स्तर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। लेवल-1 के चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण किस स्तर से होगा, इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।
 - (12) दिनांक 30.06.2015 के उपरान्त समूह 'क' के कार्मिकों के संबंध में मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा। समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा।
 - (13) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो।
 - (14) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा तथा समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू होंगे।
 - (15) विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन विकलांगता से प्रभावित हो, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जाय। विकलांग

कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

- (16) सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाय। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।
- (17) स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डेलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जाय। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाय।

(18) **स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना:-**

(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राविधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(2) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

प्रमुख सचिव।


संख्या : 1203 (1)/सेक-2-पांच-15, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (प्रशिक्षण), उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 5- निदेशक, एस0पी0एम0 चिकित्सालय/बलरामपुर चिकित्सालय/डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर/ओपेक चिकित्सालय, कैली, बरती/मानसिक रोग चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी।
- 6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 7- समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
- 8- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला
(पुरुष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 10- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(जी०सी० कठेरिया)
संयुक्त सचिव।